न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 46 / 2016

1 डालचन्द पुत्र जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभूसिंह पुत्र नोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 गोविन्दराम पुत्र पेमाराम।
3 ज्ञानाराम पुत्र पेमाराम।
4 नारायण पुत्र पेमाराम।
5 जीवणी देवी पत्नी जवाहरराम।
6 रामेश्वरराम पुत्र जवाहरराम।
7 जगनाराम पुत्र जवाहरराम।
8 पूरणमल पुत्र जवाहरराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 भागोती पत्नी केशर पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
10 बिमला पत्नी दुर्गाराम पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार हाल निवासी ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 मेऊ देवी पत्नी सांवरमल पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 चूंकि देवी पत्नी मुकनाराम पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल मुल्डाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 अशोक कुमार पुत्र बजरंगलाल पुजारी ब्राहम्ण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.10.2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 57/2013 बउनवानी गोविन्दराम बनाम ज्ञानाराम आदि

अपील संख्या 47/2016

1 डालचन्द पुत्र जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभूसिंह पुत्र नोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 गोविन्दराम पुत्र पेमाराम।
3 ज्ञानाराम पुत्र पेमाराम।
4 नारायण पुत्र पेमाराम।
5 जीवणी देवी पत्नी जवाहरराम।
6 रामेश्वरराम पुत्र जवाहरराम।

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

7 जगनाराम पुत्र जवाहरराम।
8 पूरणमल पुत्र जवाहरराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 भागोती पत्नी केशर पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
10 बिमला पत्नी दुर्गाराम पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार हाल निवासी ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 मेऊ देवी पत्नी सांवरमल पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 चूंकि देवी पत्नी मुकनाराम पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल मुल्डाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
13 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 पूनम कंवर पत्नी प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.10.2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 55/2013 बउनवानी गोविन्दराम बनाम ज्ञानाराम आदि

अपील संख्या 52/2016

1 नारायणराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बनाम

1 प्रभूसिंह पुत्र नोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 गोविन्दराम पुत्र पेमाराम।
3 ज्ञानाराम पुत्र पेमाराम।
4 जवाहरराम (मृत)।
4/1 जीवणी देवी पत्नी जवाहरराम।
4/2 डालूराम पुत्र जवाहरराम।
4/3 रामेश्वरराम पुत्र जवाहरराम।
4/4 जगनाराम पुत्र जवाहरराम।
4/5 पूरणमल पुत्र जवाहरराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4/6 भागोती पत्नी केशर पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4/7 बिमला पत्नी दुर्गाराम पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार हाल निवासी ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4/8 मेऊ देवी पत्नी सांवरमल पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4/9 चूंकि देवी पत्नी मुकनाराम पुत्री जवाहरराम जाति कुम्हार निवासी हाल मुल्डाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
5 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 पूनम कंवर पत्नी प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक
09.10.2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट
ट्रेक लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 55/2013 बउनवानी
प्रभूसिंह बनाम गोविन्दराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 05.03.2020

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2013, 55/2013, 57/2013 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनों अपीलों में विवाद बिन्दु समान होने से तीनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां तीनों पत्रावलियों में अलग—अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दौराने अपील रेस्पोडेंट गोविन्दराम का देहान्त होने पर अपीलांट की और से कायम मुकाम का आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह तीनों अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। इनके साथ धारा 5 के आवेदन प्रस्तुत किये गये है। प्रकरण में रेस्पोडेंट की और से अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन एवं कायम मुकाम के आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष को मूल अपील के धारा 5 के आवेदन एवं कायम मुकाम आवेदन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था अपितु अपीलांट का पिता

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पक्षकार था दौराने कार्यवाही पिता की मृत्यु हो गई विचारण न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही कर अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी गई है। रेस्पोडेंट गोविन्दराम दिनांक 04.12.2017 को फौत हो चुका था विधिक जानकारी के अभाव में समय पर आवेदन प्रस्तुत नही किया जा सका। अब न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये कायम मुकाम एवं धारा 5 के आवेदन स्वीकार किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा बिना किसी तरह का स्पष्ट एवं समुचित कारण अंकित किये दिनांक 02.05.2016 को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में दिनांक 25.04.2016 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करना तथा नकल प्राप्त करना अंकित किया है। परन्तु वास्तविक रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 की जानकारी अपीलांट को निर्णय दिनांक से थी परन्तु अपीलांट द्वारा किसी तरह की निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील डेढ़ वर्ष के लम्बे विलम्ब के पश्चात माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसका अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में दिन प्रतिदिन का किसी तरह का कथन नहीं किया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जानबुझकर डेढ़ वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश गलत रूप से अपीलांट द्वारा पारित करवाया गया है। विलम्ब माफ किये बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता, पहले मियाद पर सुनना आवश्यक है। आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 690 अभिजीत बनाम दीपक व अन्य में पारित निर्णय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में केवल मात्र अन्तिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जबकि कानूनन प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री की एक ही अपील पोषणीय नहीं होने से भी अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है। आर.आर.टी. 2014(1) पेज 397 जीतसिंह बनाम गुरूदेव कौर में पारित निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 एक ही गांव एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 04.12.2017 को ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में हुई थी, जिसकी जानकारी अपीलांट को मृत्यु दिनांक अर्थात 04.12.2017 से ही थी, परन्तु प्रार्थी/आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई एवं गलत रूप से मिथ्या कथन अंकित कर रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना एवं कायम मुकाम का आवेदन 2 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो नाकाबिले माफी है एवं प्रार्थी/अपीलांट की अपील खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा गलत कथन अंकित करके आवेदन कायम मुकाम प्रस्तुत किया गया है जबकि कानूनन मियाद बाहर प्रस्तुत आवेदन कायम मुकाम के आवेदन में दिन प्रतिदिन का कथन कर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये परन्तु प्रस्तुत आवेदन कायम मुकाम के रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी अपीलांट को मृत्यु दिनांक 04.12.2017 से पूर्ण जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से कानूनन कोई आवेदन स्वीकार नही किया जा सकता है जिससे भी पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट को मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई। जिससे आवेदन की देरी नाकाबिले माफी हो, से अपील अपीलांट अबैट हो चुकी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 एक ही गांव एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 04.12.2017 को ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में हुई थी, जिसकी जानकारी अपीलांट को मृत्यु दिनांक अर्थात 04.12.2017 से ही थी, परन्तु प्रार्थी/आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना नही दी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

गई। अपीलांट ने निर्धारित समय में कायम मुकाम आवेदन पेश नही किया अत अपील स्वतः अबैट हो गई। अपीलांट ने अबैटमेंट निरस्त करने का न तो कोई आवेदन दिया है एव न ही वर वक्ब बहस अबैटमेंट निरस्त करने की प्रार्थना की है। अतः अपील अबैट घोषित की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा बिना किसी तरह का स्पष्ट एवं समुचित करण अंकित किये दिनांक 02.05.2016 को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में दिनांक 25.04.2016 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करना तथा नकल प्राप्त करना अंकित किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील डेढ़ वर्ष के लम्बे विलम्ब के पश्चात इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसका अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में दिन प्रतिदिन का किसी तरह का कथन नहीं किया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा डेढ़ वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी. 2018–19 (Supp.) पेज 118 में अभिनिर्धारित किया गया है कि" Delay cannot be condoned in absence of the reasonable, sufficient and proper reasons.

अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में केवल मात्र अन्तिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है जबकि कानूनन प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री की एक ही अपील पोषणीय नहीं होने से भी अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 397 में अभिनिर्धारित किया गया है कि" Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 53& 88 -Suit for partition & declaration decreed - First appeal dismissed - One appeal filed against the preliminary decree & final decree-maintainability - one appeal was not maintainable - concurrent findings - Held, Interference declined.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 एक ही गांव एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 04.12.2017 को ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में हुई थी, जिसकी जानकारी अपीलांट को मृत्यु दिनांक अर्थात 04.12.2017 से ही थी, इसकी पुष्टि अपीलांट के कायम मुकाम में अंकित कथनों से होती है जिनमें कही भी यह अंकन नही है कि अपीलांट को गोविन्दराम की मृत्यु की जानकारी नहीं हुई अपितु यह कथन किया गया है कि विधिक प्रकिया की जानकारी नही होने से कायम मुकाम प्रस्तुत नही किया गया है। स्पष्ट है कि प्रार्थी/आवेदक द्वारा इस न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई एवं गलत रूप से मिथ्या कथन अंकित कर रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना एवं कायम मुकाम का आवेदन 2 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलांट की अपील खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा गलत कथन अंकित करके आवेदन कायम मुकाम प्रस्तुत किया गया है जबकि कानूनन मियाद बाहर प्रस्तुत आवेदन कायम मुकाम के आवेदन में दिन प्रतिदिन का कथन कर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये परन्तु प्रस्तुत आवेदन कायम मुकाम के रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी अपीलांट को मृत्यु दिनांक 04.12.2017 से पूर्ण जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से कानूनन कोई आवेदन स्वीकार नही किया जा सकता है जिससे भी पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट को मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई।

यहा यह भी विचारणीय है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 एक ही गांव एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 04.12.2017 को ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में हुई थी, जिसकी जानकारी अपीलांट को मृत्यु दिनांक अर्थात 04.12.2017 से ही थी,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

परन्तु प्रार्थी/आवेदक द्वारा इस न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना नही दी गई। अपीलांट ने निर्धारित समय में कायम मुकाम आवेदन पेश नही किया अत अपील स्वतः अबैट हो गई। अपीलांट ने अबैटमेंट निरस्त करने का न तो कोई आवेदन दिया है एव न ही वर वक्ब बहस अबैटमेंट निरस्त करने की प्रार्थना की है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नही है अपीलांट ने अबैटमेंट निरस्त नही करवाया है। अत अपील अबैट होने से खारिज की जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर